

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान

जयपुर

क्रमांक: फा 15(1)(60)राविरा / नियम / उपनियम / 2004

दिनांक: 30.8.2017

अतिरिक्त पंजीयक,
सहकारी समितियां,
(समस्त)।

विषय: क्रय विक्रय सहकारी समितियों के उपनियमों में संशोधन
बाबत।

राज्य की समस्त क्रय विक्रय सहकारी समितियों के उपनियमों में निम्नानुसार
संशोधन किया जाना प्रस्तावित है:-

अतः आप राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के
अंतर्गत अपने क्षेत्र की क्रय विक्रय सहकारी समितियों के उपनियमों में निम्नानुसार
संशोधन की कार्यवाही करवाकर इस कार्यालय को अवगत करावे:

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
8(1)(ii)	"ब" श्रेणी के हिस्से- प्रत्येक "ब" श्रेणी के हिस्से का मूल्य 100 रु. होगा, जो "ब" श्रेणी के सदस्यों को ही दिये जावेंगे। प्रत्येक सदस्य को सोसायटी के कम से कम 10 हिस्से खरीदने आवश्यक होंगे।	"ब" श्रेणी के हिस्से- प्रत्येक "ब" श्रेणी के हिस्से का मूल्य 100 रु. होगा, जो "ब" श्रेणी के सदस्यों को ही दिये जावेंगे। प्रत्येक सदस्य को सोसायटी के कम से कम एक हिस्सा खरीदना आवश्यक होगा।

(राम निवास)
रजिस्ट्रार

क्रमांक: फा 15(1)(60)राविरा / नियम / उपनियम / 2004

दिनांक: 30.8.2017

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनाार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक (मार्केटिंग), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लि., जयपुर।
6. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, (समस्त)।
7. वरिष्ठ प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
8. गार्ड पत्रावली।

(संयुक्त पंजीयक (नियम))

307